


1315/22

पत्रावली पेशा हुई अपीलांत को सुना गया।  
 अपीलांत ने कथन किया कि रेखादेव लक्ष्मीनारा  
 (लोक सूचना अधिकारी) धारोला ने सूचना के सन्दर्भ  
 में उनके पत्रांक 28 दिनांक 11/4/2022 से अवगत  
 कराया है जिसकी प्रति अपीलांत को प्राप्त हो चुकी  
 है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पता कि  
 अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी से चाही गई  
 सूचना पुश्तात्मक है अर्थात् सूचना का अधिकार  
 अधिनियम 2005 अनुसार केवल ऐसी सूचना प्राप्त  
 की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले  
 से मौजूद हो, लोक प्राधिकारी द्वारा प्रश्नों का उत्तर  
 देना अपेक्षित नहीं है तथापि लक्ष्मीनारा (लोक सूचना  
 अधिकारी) धारोला द्वारा उनके पत्रांक 28 दिनांक 11/4/2022  
 से अपीलार्थी को सूचना के सन्दर्भ में अवगत कराया  
 गया है। जिसकी स्वीकरोक्ति अपीलार्थी द्वारा अनुवार्द  
 के दौरान की गई।

अतः अपील अपीलांत स्वयं की जाती है।  
 पत्रावली फ़ैलम शुद्ध होकर दायित्व सफल है।

  
 जिला कलक्टर  
 बांसवाड़ा (राज.)

